



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 6-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JANUARY 9, 2019 (PAUSA 19, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 जनवरी, 2019

संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)/पी.ए.एल./ए.एल.एन.जी./एन.एच.-2/टीकरी-बी.एम./सी.ए./2019/73.- पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/एफ.बी.डी./ए.एल.एन.जी.एन.एच.-2/टीकरी-बी.एम.एन./सी.ए./2009/1759, दिनांक 23 जून, 2009 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/एफ.बी.डी./ए.एल.एन.जी.एन.एच.-2/टीकरी-बी.एम./सी.ए./2009/1759, दिनांक 23 जून, 2009 में, अनुसूची में,-

- (i) प्रथम पैरा में, "ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (एफ) 2528/2008, दिनांक 8 जनवरी, 2008" शब्दों, अक्षरों, चिहनों, कोष्ठकों तथा अंकों के स्थान पर, "ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (पी.ए.एल.)72/2018, दिनांक 10 अप्रैल, 2018" शब्द, अक्षर, चिह्न, कोष्ठक तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
- (ii) उत्तर शीर्ष में,-
 - (क) प्रथम पंक्ति में, "आयत संख्या 8" शब्दों तथा अंक के स्थान पर, "आयत संख्या 10" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
 - (ख) चौथी तथा पांचवी पंक्ति में, "गांव खेड़ा सराय (हदबस्त संख्या 55) की आयत संख्या 103" शब्दों, कोष्ठकों तथा अंकों के स्थान पर, "गांव खेड़ा सराय (हदबस्त संख्या 155) की आयत संख्या 90" शब्द, कोष्ठक तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
- (iii) पूर्व शीर्ष में, द्वितीय पंक्ति में, "आयत संख्या-28" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, "आयत संख्या 41" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; तथा
- (iv) दक्षिण शीर्ष में, तृतीय पंक्ति में, "आयत संख्या-9, का दक्षिण-पूर्व" शब्दों, चिहनों तथा अंक के स्थान पर, "आयत संख्या 10 का दक्षिण-पश्चिम" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

अपूर्व कुमार सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT****Notification**

The 9th January, 2019

No. CCP(NCR)/PAL/ A.L.N.G./NH.-2/TIKRI-B.M./CA/2019/ 73.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Town and Country Planning Department, Notification No. CCP (NCR)/FBD/A.L.N.G./NH.2/TIKRI-B.M./CA/2009/1759, dated the 23rd June, 2009, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No. CCP (NCR)/FBD/A.L.N.G. NH.2/TIKRI-B.M./CA/2009/1759, dated the 23rd June, 2009, in the Schedule,-

- (i) In the first paragraph, for the words, figures, signs and brackets “drawing No. D.T.P. (F) 2528/08 dated 8th January, 2008”, the words, figures, signs and brackets “drawing No. DTP(PAL)72/2018, dated the 10th April, 2018” shall be substituted;
- (ii) In the heading North,-
 - (a) in the first line, for the figure “8”, the figure “10” shall be substituted; and
 - (b) for the words, figures, signs and brackets “Rect. No. 103 of village Khera Sarai (H.B. No.55)”, the words, figures, signs and brackets “Rect. No. 90 of village Khera Serai (Hadbast No. 155)” shall be substituted;
- (iii) In the heading East, in the second line, for the figure “28”, the figure “41” shall be substituted;
- (iv) In the heading South, in the last line, for the words, figures and signs “South-east corner of Rect. No. 9”, the words, figures and signs “South-west corner of Rect. No. 10” shall be substituted.

A. K. SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.

